SCG 402

20 पृ

Office of the M. P. Pollution Control Board BHOPAL
No. 1366
D. 4/10/99

मध्य प्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
==0==

क्र0 एफ 27-1/97/श्रम/16 बी   भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 99

विषय : राज्य संकट स्थिति समूह की तृतीय बैठक दिनांक 10.9.99 का कार्यवाही विवरण ।
==0==

राज्य संकट स्थिति समूह की तृतीय बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 10.9.99 को भोपाल में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित अन्य सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :

1. डॉ इन्दिरा मिश्र, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग
2. श्री डी0एस0 माथुर, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
3. श्री सन्दीप खन्ना, प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग
4. श्री राकेश साहनी, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ।
5. श्री सत्यानन्द मिश्र, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग ।
6. श्री जीपी0 सिंघल, सचिव, वित्त विभाग
7. श्री भागीरथ प्रसाद, सचिव, परिवहन विभाग
8. श्री व्ही0के0 जैन, अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भोपाल ।
9. श्री ए0पी0 श्रीवास्तव, कार्यकारी निदेशक, आपदा प्रबंधन संस्थान, मध्य प्रदेश ।
10. श्री ए0के0 श्रीवास्तव, डी0आई0जी0, इन्टेलीजेंस
11. डॉ पी0एस0दुबे, विभागाध्यक्ष, पर्यावरण प्रबंधन एवं पौध विज्ञान संस्थान, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ।
12. श्री एस0डी0 वर्मा, संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ।
13. डॉ राकेश दुबे, संयुक्त संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश ।

S.S.O. (P. R.)
C.C. (MONITORING)
S S.O. (H.S.M.D.)
C.S.O.

—2

14. श्री वी०एस० टोंगर, प्रमुख अधीक्षक एवं अग्नि विशेषज्ञ, मध्य प्रदेश कैंप पुलिस, फायर स्टेशन, मंत्रालय, भोपाल
15. श्री एस०डी० वर्मा, संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्य प्रदेश ।
16. श्री पी० सी० सेठ, ,म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

2/ राज्य संकट स्थिति समूह की द्वितीय बैठक दिनांक 23.2.99 का कार्यवाही विवरण प्रसारित किये जाने के उपरांत इसमे संशोधन हेतु विचार या अन्य टिप्पणी प्राप्त नहीं होने से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया ।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-2

दिनांक 23.2.99 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।

2.1 मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि भविष्य में सभी जिलाध्यक्षों से यह जानकारी बुलाकर संधारित की जाए कि उनके द्वारा जिला संकट स्थिति समूहों तथा स्थानीय संकट समूहों के एक्सीडेंट रूल्स-1996 मे निहित प्रावधानों के अनुसार नियमित बैठकें किन-किन दिनांकों को आयोजित की गईं । प्रत्येक राज्य स्तरीय बैठक में यह जानकरी विभाग की नस्ती मे सुलभ होनी चाहिए ।

2.2 मुख्य सचिव द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि जब प्रशिक्षण करने संबंधी निर्णय फरवरी-99 में ही ले लिया गया था तो ~~अगस्त~~ जुलाई-99 में जब चुनाव घोषित हुए तब तक इस मामले में पर्याप्त प्रगति क्यों नहीं लाई गई । इस पर कार्यकारी निदेशक, आपदा प्रबंध संस्थान, एवं संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा आश्वासन दिया गया कि चुनाव संपन्न होने के बाद यथाशीघ्र उनके द्वारा वांछित प्रशिक्षणों का आयोजन कराया जायेगा । विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रशिक्षण सामग्री को सुनियोजित, सरल और सुपठनीय बनाकर पुस्तक के रूप में इसे तैयार किया जाए ।

---3

SCG 606

2.3 प्रदेश के 24 ऐसे जिलों में, जहां एम0ए0एच0 कारखाने स्थापित हैं के आफ साइट के प्लान प्राप्त होने थे, इनमें से 11 जिलो से प्राप्त हो चुके हैं । इस पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि शेष जिलों से भी आफ साइट प्लान शीघ्र मंगाने के लिए प्रमुख सचिव, संबंधित जिलाध्यक्षों को समुचित पत्र लिखें, ताकि यह प्लान जल्दी प्राप्त हो जायें और इनकी समीक्षा भी अगली बैठक के पूर्व की जाकर इन्हें लागू किया जा सके ।

आफ-साइट प्लान की उपयुक्तता एवं उसकी समीक्षा करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों सहित एक समिति बनाना चाहिए । डा0 पी0एस0दुबे विभागाध्यक्ष, पर्यावरण प्रबंधन एवं पौध विज्ञान संस्थान, विक्रम विश्व-विदयालय, उज्जैन ने इस बारे में अनुरोध किया कि वे भी इस समिति को अपना सहयोग देना चाहेंगे । समिति मे निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मध्य प्रदेश ।
2. कार्यकारी संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान, म0प्र0
3. डा0 पी0एस0 दुबे, विभागाध्यक्ष, पर्यावरण प्रबंधन एवं पौध विज्ञान संस्थान, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश ।

बैठक में ऑफ-साइट-प्लान का कियान्वयन कराने के लिए आर्थिक साधनों की चर्चा भी की गई । प्रमुख सचिव, श्रम द्वारा अवगत कराया गया कि रासायनिक दुर्घटना नियम-1966 के अधीन विशेष प्रावधान करने हेतु सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया है ।

2.2 राज्य स्तर पर कारखानो की अनुज्ञप्ति शुल्क में यथोचित वृद्धि के प्रस्तावो को वित्त विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निराकरण पश्चात् श्रम विभाग पुनः वित्त विभाग को प्रेषित करे, ताकि इस बारे में जल्दी निर्णय लिया जाए ।

2.3 श्रम विभाग के द्वितीय अनुपूरक बजट में रु0 50 लाख का प्रावधान किये जाने हेतु वित्त विभाग की पृच्छाओं का समाधान कर प्रस्ताव यथाशीघ्र वित्त विभाग को प्रेषित किये जाएं ।

----4

2.4 एम0एस0एच0 चिन्हित कारखानों की ऑन साईट आपात योजनायें :

इस संबंध में समिति प्रस्तुत जानकारी से अवगत हुई ।

2.5 गुना जिले के तैयार किये आफ साईट इमर्जेंसी प्लान की समीक्षा संचालक द्वारा की गई तथा बैठक के दौरान संचालक, आपदा संस्थान द्वारा भी अपनी टिप्पणी देते हुए प्लान में कुछ और बिन्दुओं का समावेश करने का सुझाव दिया गया । इस पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि इन सुझावों व बिन्दुओं का संचालक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 15 दिन के भीतर परीक्षण करें तथा यदि इसके अनुरूप परिवर्तन आवश्यक हो तो योजना में परिवर्तनो का समावेश करें । यदि इस बारे में मतभेद हों तो उसकी सूचना संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान को कारण सहित दें ।

2.6 }
2.6.1 } इन बिन्दुओं पर जानकारी 2.4 में दी गई ।

2.6.2 प्रदेश में 633 खतरनाक कारखानों में से 513 कारखानों के ऑन साईट इमर्जेंसी प्लान अंतिम रूप से अधिसूचित किये जा चुके हैं, शेष कारखानों के द्वारा भी ऑन साईट इमर्जेंसी प्लान शीघ्र तैयार किये जाएं, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

2.6.3 इस बिन्दु की चर्चा 2.3 में की गई है ।

2.6.4 इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि संबंधित मामलों में अनुश्रवण किया जाकर इसमें शीघ्र ही अगली कार्यवाही की जाए ।

जिला आफ-साइट आपात योजना के लिए वार्षिक व्यय हेतु व्यवस्था किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि इस संबंध में अविलंब कार्यवाही की जाए ।

2.6.5 विभागीय सुदृढ़ीकरण बाबत प्रस्ताव जो श्रम विभाग में श्रमायुक्त से प्राप्त हो चुके हैं, उसका शीघ्र परीक्षण कर उसके क्रियान्वयन पर विचार किया जाए ।

2.6.6 रासायनिक दुर्घटना प्रबंधन हेतु विशेषज्ञों की सूची संकलित करने हेतु समिति गठित की जा चुकी है । संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा आश्वस्त किया गया कि अगली बैठक के पूर्व विशेषज्ञों की सूची संकलित कर ली जाए ।

2.6.7 समिति की गई कार्यवाही से अवगत हुई ।

एजेण्डा क्रमांक-3

रामाफास्फेट इन्दौर तथा मध्य प्रदेश ग्लाईकोल जिला गाडरवारा की दुर्घटना के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई । मुख्य सचिव ने जानना चाहा कि क्या जब इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो लागू प्रक्रिया को सुधारने और निवारक कार्यवाहियों के लिये समीक्षा की जाती है ।

जानने योग्य बात यह है, कि क्या संबंधित चल रहे कारखानों में कार्यरत ऊपर से नीचे तक के सभी व्यक्तियों जिन्हें प्रबंधन और कर्मी सभी आते हैं को संभावी खतरों और दुर्घटनाओं के संबंध में समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है? यदि नहीं दिया जाता है तो उन्हें प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और इस संबंध में शासन के संबंधित सभी विभाग तथा संबंधित उद्योग भी सहयोग करेंगे । प्रशिक्षण में एक भाग दुर्घटना से बचाव के लिए "मोक-ड्रिल" का आयोजन करना होगा तथा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित कारखानों के ऑन साईट इमर्जेंसी प्लान में इनका समावेश कर लिया जाए । छः माह में एक बार यह "मॉक ड्रिल" अवश्य ही आयोजित हों, यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए । "A"

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रस्तावित बिन्दु व दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जो अन्य सुझाव परिशिष्ट-4 के अनुसार दिये गये हैं, उसके संबंध में संबंधित सदस्यों को उक्त मण्डल को सुझाव प्रेषित करना चाहिए तथा मण्डल आगामी बैठक में श्रम विभाग को अवगत कराये ।

SCG 407

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-4

इस संबंध में समिति का मत था कि "Do's और Dont's" को सामान्य बोलचाल की भाषा में बनाना चाहिए । संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को चाहिए कि उद्योगों पर इस बात के लिए दबाव डाला जाए कि वे अपने आसपास के जन-सामान्य को सुरक्षा के संबंध में जानकारी सुग्राह्य तरीके से बार-बार दें । लोगों ने इस प्रकार की शिक्षा को किस हद तक गृहण किया है इसका भी आंकलन किया जाना चाहिए ।

प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग ने अनुरोध किया कि खातरनाक कारखानों के समीप बेतरतीब बस्तियों को नियंत्रित करना जरूरी है । जिलाध्यक्षों को भी भूमि के उपयोग का परिवर्तन (डायवर्सन) करने की अनुमति देने से पहले इस बात की जानकारी लेना चाहिए कि वहां से कोई गैस-पाईप-लाइन आदि तो नहीं गुजर रही है । इस बारे में राजस्व विभाग जिलाध्यक्षों को निर्देश भेज सकते हैं । 3 दिसम्बर राज्य सुरक्षा दिवस के रूप में प्रदेश में मनाया जाता है । अतएव इस दिवस को औद्योगिक सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कार्यवाहियों की समीक्षा के लिए उपयुक्त माना गया ।

मुख्य सचिव ने चाहा कि सर्व-संबंधितों के लिए आपदा प्रबंध संस्थान के सहयोग से प्रशिक्षण का केलेण्डर एक माह में तैयार कराया जाए, ~~जिसे उन्हें एक माह के अंदर दिखाया जाए~~। प्रशिक्षण देने के लिए औद्योगिक संस्थायें जैसे भिलाई, बाल्को, मेल, जी०ए०आई०एल०, एन०एफ०एल आदि से समुचित सहयोग लिया जाना चाहिए ताकि वह कम से कम खर्च में संपन्न हो सके ।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए ~~चाहे~~ कि जो अति-खातरनाक (एम०ए०एच० 79 उद्योग प्रदेश में चल रहे हैं उनके संबंध में एक पुस्तक बना ली जाए, जिसमें उस उद्योग के कारण उत्पन्न परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करना उपयुक्त होगा इसे सरल भाषा में बतलाया जाए ।

मुख्य सचिव ने उल्लेख किया कि इस समूह की बैठकों में खतरनाक कारखानों के जिन प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया है, उनके द्वारा बैठक मे भागीदारी नहीं की जा रही है, बल्कि उनकी भी यह उतनी ही जिम्मेदारी है कि वे समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए औद्योगिक खतरों के निवारण आदि के संबंध में अपना योगदान इस समूह के माध्यम से दें । यदि वे इन बैठकों में शरीक ही नहीं होंगे तो उनका योगदान कब मिल पाएगा? उन्होंने समिति के सदस्य सचिव को निर्देश दिये कि इन प्रतिनिधियों को एक समुचित पत्र लिखकर इस तरह कारण पूछा जाए कि वे अब तक की बैठकों मे क्यों शरीक नहीं हुए ।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई ।

16.9.99
§डॉ इन्दिरा मिश्र§
प्रमुख सचिव,
श्रम विभाग।

-=:0:=-